तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :— 364 / 2025 विनय कुमार अग्रवाल वगै0 बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2025	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। दौराने बहस प्रार्थीगण ने कथन किया कि वाके ग्राम नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि खसरा नं. 451 / 81 रकबा 0.59 है0 भूमि अवस्थित है जो आवेदकगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम अशोक पुत्र सीताराम, सज्जन पुत्र सीताराम, विनय कुमार पुत्र विनोद कुमार व सुमित्रा देवी पत्नी विनोद कुमार दर्ज रिकॉर्ड है, जबकि उनके समस्त दस्तावेजों में प्रार्थीगण का नाम अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र सीताराम, सज्जन कुमार पुत्र सीताराम, विनय कुमार अग्रवाल पुत्र विनोद कुमार अग्रवाल व सुमित्रा पत्नी विनोद कुमार अग्रवाल दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाये। प्रार्थीगण को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रार्थीगण के संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त करने की अभिषंशा की है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। —: आदेश :— प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि खसरा नं. 451 / 81 रकबा 0.59 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम अशोक पुत्र सीताराम, सज्जन पुत्र सीताराम, विनय कुमार पुत्र विनोद कुमार व सुमित्रा देवी पत्नी विनोद कुमार की बजाय अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र सीताराम, सज्जन कुमार पुत्र सीताराम, विनय कुमार अग्रवाल पुत्र विनोद कुमार अग्रवाल व सुमित्रा पत्नी विनोद कुमार अग्रवाल दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार तहसीदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। 23/9/25 (कौशल्या बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	